



# DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together  
And Achive Dream  
Together

# Dr Surendra Dhiwa

Educator

( Law | Public administration and management )


( Polity and IR | Audit and Accounting )



## अध्याय - 5

धारा 76 → राज्य विनियम आयोग →  
पुनर्विचार (Review)

(i) राज्यो द्वारा उद्गृहणीय →



धारा 77 → राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन →

धारा 78 → राज्य सरकार से वित्तीय सहायता →

↓  
नगरपालिका को → अनुदान / वित्तीय सहायता (grant)

→ स्कीम → संबंधित शर्तों का उल्लेख

धारा 79 → नगरपालिका निधि →


तं) प्रत्येक नगरपालिका ही एक नगरपालिका निधि  
होगी जिसे नगरपालिका इला - ब्यालन्ड (Trust) के  
रूप में धारण किया जाएगा

↳ इसमें नगरपालिका को प्राप्त / वसूल किए गए  
सम्पत्त धन


Head of Account → लेखा रीछ

(ii) प्रारम्भ


उपय




(iii)



प्राप्तियाँ (Receipt)



व्यय (Expenditure)



धारा 80 → नगरपालिका निधि का उपयोग →

धारा 81 → नगरपालिका निधि में से जब तक खर्चा नहीं किया जाता, जब तक कि वह खर्च अनुदान में समाविष्ट नहीं है →

खर्च प्रतिशेष  
(Balance)



आपवाद →

- ① refund of tax
- ② repayment of money → संविदाकारों का पैसा
- ③ By mistake कोई धन नगरपालिका द्वारा वसूल किया गया हो
- ④ लौकहित → तत्काल अपेक्षित होनेपर (राज्यसत्का)
- ⑤ स्वतन्त्र रोग, प्राकृतिक आपदा, विध्वंस विरोध उपाय हेतु

⑥ प्रतिभर (compensation)

⑦ खंदाय → (i) कार्यवाही करने में विफल रहने पर  
 (ii) रिजिल (दांडिक - पादात्म्य की कार्यवाहियों में उपगत खदय → डिंडी)

(iii) दान

(iv) खंपति / मातबीय खिरन हेतु खरका

खरन, मजदूरी

⑧

धारा 82 → लोकहित में तत्काल अपेक्षित संकर्मों  
के लिए नगरपालिका निधि में से अस्थायी

संदाय →

राज्य सरकार द्वारा लिखित अध्यापना पर  
(written requisition)





































# THANK YOU

## For Join Our Session



 +91-9636280355

[www.drgenius.academy.com](http://www.drgenius.academy.com)

